न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –44/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
प्रेमसुख पुत्र मांगीलाल जाति सुनार निवासी पांचौडी तहसील खींवसर जिला नागौर		राजस्थान राज्य सरकार तहसीलदार, खींवसर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री बाबूलाल भादू।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राज वकील श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 22-5-2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा मुकदमा नम्बर 330/2017 सरकार बनाम प्रेमसुख अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.03.2018 को प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि अपीलांट की तामिल करवाये बिना व अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना व किसी भी प्रकार का साक्ष्य सबूत न अपीलांट से लिया गया न ही हल्का पटवारी या अन्य अधिकारी व कर्मचारी से लिया न ही किसी अधिकारी, कर्मचारी , अपीलांट के बयान लिये गये केवल मात्र फौरी तौर पर विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना दिनांक 20.12.2017 को एक प्रिन्टेड परफोरमा में अपीलांट का नाम, पता, मुकदमा संख्या, खसरा, रकबा अंकित करते हुए प्रिन्टेड परफोरमा में निर्णय पारित किया गया। जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं होने दी न ही विधि सम्मत तामिल करवाई और बाले बाले ही राजनैतिक द्वेषता व अन्य लोगो से सिखावट में आकर बिना अतिक्रमण के ही मिथ्या निर्णय पारित किया जिसकी अपीलांट को जानकारी नहीं हुई, तत्पश्चात् अपीलांट को दिनांक 20.02.2018 को मौके पर बेदखली की कार्यवाही करने हेतु नोटिस मिला जिस पर अपीलांट द्वारा तहसील कार्यालय खींवसर जाकर पता किया तो कथित अपीलाधीन निर्णय की अपीलांट को प्रथम बार जानकारी दिनांक 16.02.2018 को नकल का आवेदन पेश करने के पश्चात दिनांक 27.02.2018 को प्रमाणित प्रतियां मिलने पर हुई, तत्पश्चात् दिनांक 28.02.2018 को नागौर आकर कानूनी राय प्राप्त की व सांय तक अपील तैयार हुई तब तक न्यायालय का समय समाप्त हो गया व दिनांक 01.03.2018 से दिनांक 04.03.2018 तक होली का अवकाश हो जाने के कारण दिनांक 05.03.2018 को बिना देरी के जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की है जिसे अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुऐ न्यायहित में देरी माफ कर अपील तारीख जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

वकील रेस्पोडेन्ट राजपैरोकार ने बहस का विरोध करते हुए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि हल्का पटवारी पांचौडी द्वारा तथाकथित झुठी रिपोर्ट दिनांक 7.12.2017 को इस आशय की पेश कर एक फर्द तहसीलदार खींवसर के समक्ष पेश कर बताया कि खसरा नम्बर 588 गै.मु.रास्ता मौजा पांचौडी रकबा 0.00.02 बीघा पर अपीलांट द्वारा टीनशेड आदि द्वारा अतिक्रमण कर रखा होने की रिपोर्ट पेश की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2017 को धारा 91 एल.आर. एक्ट की पत्रावली कायम कर मु.नं. 330/17 सरकार जरिये पटवारी हल्का पांचौडी बनाम प्रेमसुख नाम से दर्ज करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.12.2017 को गैर सायल /अपीलांट को उपस्थिति बाबत नोटिस जारी करने का आदेश हुआ मगर अपीलांट की तामिल किये बिना व अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना व किसी भी प्रकार का साक्ष्य सबूत न तो अपीलांट से लिया गया न ही हल्का पटवारी या अन्य अधिकारी व कर्मचारी से लिया न ही किसी अधिकारी, कर्मचारी, अपीलांट के बयान लिये गये केवल मात्र फौरी तौर पर विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना दिनांक 20.12.2017 को एक प्रिन्टेड परफोरमा में अपीलांट का नाम, पता, मुकदमा संख्या, खसरा, रकबा अंकित करते हुए प्रिन्टेड परफोरमा में निर्णय पारित किया गया। जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं होने दी न ही विधि सम्मत तामिल करवाई और बाले बाले ही अपीलांट के पीठ पीछे छुर्रा घोंपते हुए राजनैतिक द्वेषता व अन्य लोगो की सिखावट में आकर बिना अतिक्रमण के ही मिथ्या निर्णय पारित किया।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्ध बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया होने से विधि सम्मत निर्णय नहीं है, इस कारण निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पांचौडी के खसरा नम्बर 1354/589 रकबा 00–18–17 बीघा (यानि कि 1328.63 वर्गमीटर आवासीय रूपान्तरणसुदा) में से निम्न नाप व पडौस की जायगा जिस पर अपीलांट की दुकान बनी हुई है, अपीलांट की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीदसुदा स्वामित्व की स्थित है। जिसके पडौस उतर में–बेचानकर्ता की आवासीय जमीन, दक्षिण में– मेघाराम मेघवाल की जमीन, पूर्व में– नागौर–फलौदी रोड से फंट कर गांव में जाने का रास्ता एंव पश्चिम में– इसी खसरा नम्बर 1354/589 की शेष जमीन पडौस के बीच की अपीलांट की दुकान का नाप उतरी भुजा 10.9 फुट, दक्षिणी भुजा 10.9 फुट, पूर्वी भुजा 11.6 फुट, पश्चिमी भुजा 11.6 फुट है। उपरोक्त खसरा नम्बर 1354/589 कुल रकबा 00–18–17 बीघा के खातेदार मदनलाल पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल निवासी पांवौडी तहसील खींवसर द्वारा विधिनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण तहसीलदार खींवसर के आदेश क्रमांक/सम/2014/ 1470–73 दिनांक 17.06.2014 के जरिये करवा कर आवासीय पट्टा प्राप्त किया था। उक्त सम्पूर्ण जायगा में सें अपीलांट ने उक्त दुकान की जायगा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विधिनुसार निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय खींवसर में दिनांक 27.06.2014 को पंजीयन करवाया गया। उपरोक्त जायगा बेचानकर्ता मदनलाल के पिता नारायणराम के नाम से पीढियों से रहती चली आई है तथा मदनलाल पुत्र नारायणराम की पुश्तैनी व बडेर की जमीन थी, नारायणराम के फौत होने के पश्चात् मदनलाल के नाम नामान्तरकरण हुआ जो एक मात्र खातेदार काबिज था तत्पश्चात उसने रूपान्तरित करवा कर अपीलांट को उक्त दुकान की जायगा बेचान की थी। उपरोक्त जायगा

बेवानकर्ता मदनलाल के पिता नारायणराम के कब्जासुद खातेदारी की थी और नारायणराम के फौत होने पर मदनलाल के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात मदनलाल ने उक्त जायगा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करने हेतु दिनांक 17.6.2014 को आवेदन पेश किया तथा मौके पर हल्का पटवारी व आर.आई. से मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवा कर सभी तरह का नाप चोप व निरीक्षण कर रिपोर्ट बनवाई व रिपोर्ट बनने के पश्चात् बेवानकर्ता मदनलाल के पक्ष में रूपान्तरित पट्टा जारी किया गया व उक्त रूपान्तरित भूभाग में से अपीलांट ने दुकान के लिए उपरोक्त नाप की जगीन खरीद कर विक्रय पत्र अपने नाम करवा कर कब्जा प्राप्त किया। जिसमें आज दिन अपीलांट अपना काम धंधा कर परिवार का जीवकोपार्जन करता है। इस प्रकार अपीलांट उक्त जायगा का खरीदसुदा कब्जासुद वैध स्वामित्व टाईटल से स्वामी हुआ, रहा व है तथा इन सभी तथ्यों की हल्का पटवारी को भलीभांती जानकारी होते हुए भी केवल मात्र कुछ लोगों की गांव के सरपंच वगैरा से राजनैतिक अदावती होने से उनके सिखावे में आकर सरपंच वगैरा के साथ साथ अपीलांट व उसी लाईन में अन्य दुकानों को नाजायज तंग परेशान करने के लिए मौके की स्थिति के विपरीत रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश कर दी व मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर, स्वंय तहसीलदार खींवसर मौका निरीक्षण किये बिना आदेश/निर्णय और अपील विधि विरूद्ध रिपोर्ट पर पारित किया होने से अपास्त/निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

उक्त सम्पूर्ण रूपान्तरित जायगा एंव अपीलांट की निर्मित दुकान नागौर–फलौदी स्टेट हाईवें से फंट कर उतरी तरफ पांचौडी गांव जाने वाली गांवाई सडक के पास स्थित है तथा उक्त सडक से पश्चिमी तरफ अपीलांट की दुकाने आई हुई है तथा सडक की मौके पर आज दिन चौडाई लगभग 60–70 फुट है। इस गांवाई सडक से पश्चिमी तरफ स्टेट हाईवे नागौर–फलौदी से लेकर गांव की आबादी जमीन तक कई व्यक्तियों की दुकाने पुराने समय से निर्मित हो रखी है तथा रोड के पूर्वी तरफ नागौर–फलोदी स्टेट हाईवे से उतरी तरफ पटवार भवन, उसके उतरी तरफ पंचायत भवन, उसके उतरी तरफ 6 दुकानें एंव उससे उतरी तरफ राजकीय चिकित्सालय एंव उससे आगे दुकाने आबादी क्षेत्र तक निर्मित है। उपरोक्त जो रास्ता बताया गया है उसके खसरा नम्बर 588, 584, 773, 580/1 है तथा इन्ही खसरों में से भूमि आंवटन कर पटवार भवन, पंचायत भवन व कुछ भूमि पर सरकारी अस्पताल बना हुआ है तथा उक्त तीनों सरकारी भवन उक्त रास्तों की जमीन पर बने हुए है। हाल ही में गांव की पार्टीबाजी के तहत हुई शिकायत के आधार पर वर्तमान में जो माप पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किया गया है वो इन भवनों की जमीन को छोड कर किया गया है तथा माप चोप गलत करके गलत तरीके से अपीलांट व अपीलांट के पडौस के अन्य व्यक्तियों को अतिक्रमी होना सरासर गलत बता कर तहसीलदार खींवसर के समक्ष पश्चात्वर्ती रिपोर्ट पेश कर दी जबकि उक्त जमीन का रूपान्तरण करते वक्त पटवारी व आर.आई. द्वारा माप चोप कर मौका निरीक्षण कर जो पहले रिपोर्ट बनाई गयी थी उस समय किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना बताया और रूपान्तरण के पूर्व ही अपीलांट ने जिस जमीन को खरीदा उक्त जायगा के अडौस पडौस में आज से करीब 30 वर्ष पूर्व से दुकाने बनी हुई थी जिसके सामान्तर ही अपीलांट की दुकान बनी हुई है इसके बावजूद अब मिथ्या रिपोर्ट से सरकारी भवनों को बचाते हुए अपीलांट की दुकान को अतिक्रमण होना बताया जाकर अपीलांट को एकाएक बेदखली का नोटिस दिनाक 14.02.2018 तहसीलदार खींवसर से प्रेषित करवा कर अपीलांट के अधिकारों पर कुठाराघात करवाते हुए उसे सुनवाई व शहादत सबूत का अवसर दिये बिना बाले बाले निर्णय और अपील पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है यदि तहसीलदार अपने स्तर पर जांच करते, मौका निरीक्षण करते, आवासीय प्रयोजनार्थ भूरूपान्तरण का नाप चौप, नक्शा पटवारी, आर.आई. की पूर्व की रिपोर्ट

आदि का अवलोकन करते तो ऐसा निर्णय किसी भी सुरत में पारित नहीं हो सकता था मगर इन सब को नजर अन्दाज करते हुए निर्णय जैर अपील विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया होने से अपारत किये जाने योग्य है। अपीलांट की उक्त दुकान किसी भी रूप में कोई अतिक्रमण नहीं है तथा इस जायगा का रूपान्तरण करने से पूर्व पटवारी व आरआई ने मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय में पेश की व उसी के आधार पर रूपान्तरण आदेश पारित किया था तो अब उसी जायगा के संबंध में पटवारी व आरआई. को अतिक्रमण की पश्चात्वर्ती झुठी रिपोर्ट के आधार पर ऐसा निर्णय कतेई पारित नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में भी निर्णय जैर अपील अपारत किये जाने योग्य है।

उक्त जायगा मय दुकान अपीलांट की पट्टासुदा रूपान्तरित जायगा व दुकान है जो स्वामित्वसुदा है रूपान्तरित जायगा में हल्का पटवारी व तहसीलदार को अतिक्रमण कार्यवाही करने के संबंध में कोई कानूनी क्षेत्राधिकार नहीं है ऐसा कोई अतिक्रमण ऐसी जायगा में पाया जाता है तो ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार है इस संबंध में तहसीलदार ने ग्राम पंचायत से कोई रिपोर्ट, अनापति प्रमाण पत्र व शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यवाही की है जो विधि विरूद्ध होने से निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 588 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा गै.मु. रास्ता था जिसमें से 10 बिस्वा भूमि पटवार घर व ग्राम पंचायत को एलोट कर खसरा नम्बर 1159/855 अंकित हो रखे है इस रास्ता की जमीन के उपर पंचायत भवन, पटवार घर बने हुए है रास्ता की जमीन के समानान्तर ही अस्पताल का निर्माण कर दिया गया है जबकि अस्पताल को इस खसरे में से कोई जमीन एलोट नहीं की गयी है इस खसरे के पिछे खातेदारी के खसरे में से जमीन ऐलोट की गयी थी, जबकि अस्पताल इनके समानान्तर बनाकर रास्ता की जमीन कब्जे की है व इसी के बराबर आगे कुछ लोगो ने समानान्तर दुकाने बना ली है इसलिए उक्त रास्ता नागौर-फलौदी रोड से फंट कर पांचौडी आबादी में जाता है जो उतर से दक्षिण की तरफ चलता है पूर्वी तरफ पटवार भवन, पंचायत भवन, सरकारी अस्पताल व इसके समानान्तर अस्पताल से आबादी तक जिन लोगो की दुकाने बनी हुई है वे सभी दुकानो व सरकारी भवन रास्ते की भूमि पर बने हुऐ है इस तरह की सारी खुलासा रिपोर्ट पटवारियों व तहसीलदार की टीम से मंगवाया जावे तो सारा खुलासा हो जावेगा, पूर्वी तरफ की दुकाने व सरकारी भवनों को बचाने के लिए हल्का पटवारी ने गलत रूप से मौका रिपोर्ट बनाकर कार्यवाही की है जो रिपोर्ट मंगवाने पर स्वतः साबित हो जावेगा, इस प्रकार मौके की स्थिति के विपरीत निर्णय जैर अपील पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील अपास्त/निरस्त/संशोधित फरमाने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आवीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलान्ट द्वारा ग्राम पांचोड़ी के खसरा नम्बर 588 रकबा 0.00.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर चौकी, बरामदा, टीनशेड आदि बनाकर के अतिक्रमण किया है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो कि सही होने का कथन करते हुऐ राजपैरोकार ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया, नोटिस के पिछे अशोक कुमार पुत्र प्रेमसुख अंकित है और तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट आसामी स्वंय से तामील की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नोटिस की तामील अपीलान्ट से नहीं करवाई गई, जिसे तामील माना जाना विधि

अपर कलेक्टर, नागौर

सम्मत नहीं है। इससे अपीलान्ट अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका है। विधि अनुसार न्याय हित में अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई आदि का समुचित अवसर प्रदान कर तत्पश्चात तथ्यों पर समग्र विवेचन करते हुऐ विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त निर्णय एक टाईपशुदा प्रोफार्मा में पारित किया गया है, जो कतई उचित नही है। अतः मेरे मत में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारान को विधि अनुसार साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विवेचन करते हुऐ पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड एवं निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर